न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , बनेडा जिला शाहपुरा (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 28/2021

अनवान

1. गंगादेवी पत्नि घेवरचन्द ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी – जासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
2. पारसदेवी पत्नि जगदीशचन्द्र ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी – जासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0 वादी गण

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पिता शुभकरण ढोली उम्र वयस्क निवासी – जासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री मुरारी जोशी (वादी अधिवक्ता)
पैरोकार सरकार

1. प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता द्वारा एक वाद विरूद्व प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम जासोरिया पटवार क्षेत्र जासोरिया भु– अभिलेख क्षेत्र डाबला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की सरहद में वादीगण के नाम की आराजी नम्बर 705 , 712 , 713 , 714 , 727 , 730 , 731 , 732 , 733 , 734 , 735 , 1582/734 , 1683/707 कुल खसरा 13 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा भुमि खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है । जिसकी वादी गण द्वारा तत्कालीन पीठासीन अधिकारी से विधिक आदेश दिनांक 18–05–2018 लेकर दिनांक 04–06–2020 को भु – अभिलेख निरीक्षक डाबला से पत्थरगढी कराई तथा उक्त पत्थरगढी मे पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 01 ने आराजी संख्या 727 के उत्तरी मेड पर 175 कडी × 6 कडी = 1050 वर्ग कडी पर अवेध कब्जा कर प्रतिवादी ने अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है । जो वादी के खातेदारी अधिकार की है , पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 का पाया गया है । अतः वादी को उसकी क्षतिपूर्ति प्रदान करावे तथा प्रतिवादी गण को वादी की खातेदारी आराजी से बेदखल करा वादी को कब्जा पुनः सिपूर्द कराये जाने आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सादर फरमाई जावे ।
2. वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 25/06/2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन /नोटिस मामले मे वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 01 सूचित होने के बावजुद भी नियत सुनाई पर अनुपस्थित रहने व विहित समयावधी में जवाबदावा प्रस्तुतीकरण में असमर्थ रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाकर पत्रावली को एक तरफा साक्ष्य वादी चरण हेतू नियत किया गया । वादी की शहादत मे वादी की और से प्रस्तुत गवाह स्वंय वादी के शपथपत्र पर पी. डबल्यू –1 का अंकन किया गया एंव संलग्न पटवारी पर्चा मोका रिर्पोट चालु जमाबन्दी क्रमश प्रदर्श 1 से 3 है ।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस एक पक्षीय सुनी गई तत्पश्चात् बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित कलमो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 ने आराजी संख्या 727 के उत्तरी मेड पर 175 कडी × 6 कडी = 1050 वर्ग कडी पर अवेध कब्जा कर प्रतिवादी ने अनाधिकृत कब्जा पाया गया है तो उस भु–भाग को वादी को कब्जा सिपुर्द किये जाना उचित है । इस प्रकार वादी वादपत्र विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किये जाने योग्य है ।

:: आदेश ::

अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार कर तहसीलदार बनेडा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित दिया जाता है कि ग्राम जासोरिया पटवार जासोरिया में वादी की आराजी संख्या 727 के भूमि को मौके पर पुख्ता सीमो चिन्हो से नपती की जावे । मौके पर नपती के संबध में पक्षकारान को न्यूनतम 3 दिन पूर्व सूचित कर पुख्ता सीमा चिन्हो से नपती की जावे । नपती उपरान्त यदि वादी के हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावे तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 से वादी को सिपूर्द किया जावे । तथा वादी के खातेदारी हक एंव हिस्से के भू भाग पर प्रतिवादी बेजादखंदाजी एंव हस्तक्षेप नही करे । खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे । उक्तानुसार ड़िक्री पर्चा तरतीब किया जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

न्यायालय / कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
बनेड़ा–शाहपुरा

श्रीकान्त व्यास
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाडा